UPRN010023092021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) कानपुर देहात
प्रकीर्ण वाद संख्या – 303/2021
सतीश बनाम पिन्टू आदि
थाना– रसूलाबाद जिला कानपुर देहात

2.8.2021

प्रकीर्ण आवेदन पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर प्रार्थी सतीश के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रकीर्ण आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्रों व थाने की आख्या का परिशीलन किया ।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रकीर्ण आवेदन पत्र में अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी अपनी पत्नी ललिता के साथ दिनांक 4.6.2021 को गहारपुरवा बांगमरऊ उन्नाव रिश्तेदार के यहां शादी में गए थे और वहां से पहले से ही मौजूद पिन्टू, लक्खी, राजू, रामबाबू आदि लोगों ने योजनाबद्व तरीके से प्रार्थी को धोखा देकर प्रार्थी की पत्नी ललिता को पिन्टू से अवैध रूप से जबरियन शादी करवाने के लिए उक्त लोगों ने प्रार्थी की पत्नी का अपहरण कर लिया। प्रार्थी की पत्नी शादी में सारा जेवर पहनकर गयी थी, वह लगभग 2,50,000/– रूपये का और प्रार्थी की पत्नी 20,000/– रूपये भी घर से लेकर गयी थी जो कि प्रार्थी को बाद में पता चला और उक्त लोग गलत उद्वदेश्य को पूरा करने हेतु प्रार्थी की पत्नी को अपहरण कर लिया है। प्रार्थी की पत्नी ललिता को पिन्टू से अवैध रूप से जबरियन शादी करवाने के लिए अपहरण किया है लेकिन उक्त लोग प्रार्थी की पत्नी को केवल पहने हुए जेवर व 20,000/– रूपये हड़पने हेतु अपहण किया है। उक्त मुल्जिमान प्रार्थी की पत्नी को किसी अज्ञात स्थान पर रखे हए हैं और उक्त लोगों का उददेश्य है कि रूपये व जेवर प्राप्त होने के बाद प्रार्थी की पत्नी को जान से मार देंगे। प्रार्थी की पत्नी के साथ अनहोनी घटना घटित होने की पूरी सम्भावना है। प्रार्थी ने काफी खोजबीन करने के बाद पत्नी ललिता व मुल्जिमानो का पता न चल पाने पर प्रार्थी ने दिनांक 16.6.2021 को थाना बांगरमउ जनपद उन्नाव में जाकर घटना की सूचना दी लेकिन आज तक किसी प्रकार की मुल्जिमानों पर कार्यवाही नहीं हुई और प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों को जरिये रजिस्ट्री घटना की सूचना की लेकिन फिर भी प्रार्थी की न तो रिपोर्ट लिखी गयी और न ही प्रार्थी की पत्नी को बरामद किया गया। दिनांक 24.6.2021 को पता चला कि उक्त मुल्जिमान प्रार्थी की पत्नी ललिता को ग्राम गजान थाना रसूलाबाद कानपुर देहात में रखे हुए हैं तब प्रार्थी व प्रार्थी की मां शान्ती व प्रार्थी के पिताजी जगदीश व ललिता के भाई चन्दन व भाभी मीना व बउवा आदि लोग ग्राम गजान में जाकर समय करीब 5–30 बजे शाम को उक्त मुल्जिमानों से कहा कि यह बहुत गलत है और ललिता को जो अपहरण किया है, उसको हम लोगों को सुपुर्द कर दो, लेकिन हम लोगों के पहुंचने पर उक्त मुल्जिमान पिन्टू, लक्खी, राजू, रामबाबू व 7 व्यक्ति अज्ञात आदि लोगों ने प्रार्थी आदि को गाली गलौज करते हुए जान से मार डालने के इरादे से लाठी–डण्डो से मारने पीटे लगे और बहुत बुरी तरह मारा पीटा जिससे प्रार्थी आदि

लोगों को बहुत अधिक गम्भीर चोटें आई और प्रार्थी के साथ चन्दन ललिता के भाई से 3500/– रूपये लूट लिए जो वह जेब में डाले हुए था, व एक अंगूठी जो हांथ में पहने थे और गले में पहने सोने की चैन को भी लूट लिया और प्रार्थी आदि लोगों को बहुत बुरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की लेकिन शोरगुल सुनकर कई ग्रामीण दौड़े और किसी ने 112 नं0 पर फोन करके पुलिस को बुला लिया तब जाकर प्रार्थी आदि की जान बच पाई और उक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हए भाग गए। प्रार्थी बहुत ही भयभीत है, प्रार्थी की पत्नी ललिता जो उक्त लोगों ने अपहरण कर किसी अज्ञात स्थान पर रखे हुए हैं, के साथ किसी भी समय गम्भीर घटना कारित कर सकते है। प्रार्थी आदि को पुलिस थाने लेकर गयी और प्रार्थी आदि ने रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया लेकिन थाना हाजा पर मुल्जिमानों का राजनैतिक प्रभाव होने के कारण थाना हाजा पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश पारित किए जाने की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात की आख्या दिनांकित 17.7.2021 के अनुसार इस संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

2011(72) ए0 सी0 सी0 564 इलाहाबाद (फुलबेंच) फादर थामस बनाम स्टेट आफ यू0 पी0, 2001(43)ए0 सी0 सी0 पेज 50 (Full Bench) रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू0 पी0, 2007(59) ए0 सी0 सी0 739 इलााबाद डिवीजन बेंच, सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व 2006(54)ए0 सी0 सी0 पेज 530 मोहम्मद युसूफ बनाम श्रीमती अफाक जहां न्यायिक दृष्टांतो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि धारा 156(3) दं0 प्र0 स0 के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामला परिवाद के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी सतीश पुत्र जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो तथा पत्रावली पत्रावली दिनांक 28.8.2021 को परिवादी सतीश पुत्र जगदीश के बयान अंतर्गत धारा 200 दं0 प्र0 सं0 हेतु पेश हो।

(सुधाकर राय)
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0 प्र0 क्षे0)
कानपुर देहात
आई0 डी0 सं0 यू0 पी0–6256

Digitally signed by Sudhakar Rai
Date: 2021.08.02 15:35:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court